आदेश

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या–1, वर्ष 2018), तत्सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 30/XXX–2/2018–30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी 2018 एवं शासनादेश संख्या 140/XXX(2)/18–30(13)2018 दिनांक 25 मई 2018 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 05.06.2018 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्री संजीव रावत, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी चमोली का स्थानान्तरण दुर्गम कार्यस्थल से सुगम कार्यस्थल के आधार पर निम्नानुसार कॉलम संख्या 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	श्री संजीव रावत, वैयक्तिक सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली	कृषि निदेशालय देहरादून	–

श्री संजीव रावत को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त आवंटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री संजीव रावत का स्थानान्तरण राजकीय हित में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रत्यावेदन दिये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार का दबाव बनाये जाने पर अधिनियम की धारा 24 अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(डॉ0 अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 1626 /स्था0अनु0–6/वैयक्तिक स0/वार्षिक स्थाना0/2018–19 दिनांक 10.6.2018

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **श्री संजीव रावत वैयक्तिक सहायक** द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी चमोली ।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री संजीव रावत को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्धारित समयावधि में योगदान करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, चमोली/गोपेश्वर/साईबर ट्रेजरी देहरादून।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, नियोजन एवं अनुश्रवण, कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
6. स्थापना अनुभाग/बिल सहायक कृषि निदेशालय ।
7. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।